संख्या- 5 / 2016 / 1533/तीन-2004-77(22)/79

प्रेषक,

श्री वी0के0 मित्तल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर, 2004

विषय:- उत्तर प्रदेश के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशासन में स्वस्थ कार्य संस्कृति के विकास , कार्य कुशलता एवं बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में (शिक्षण, बैंकिंग संस्थाओं तथा उत्पादकता से जुड़े सरकारी विभाग, वाणिज्यिक उपक्रमों को छोड़कर) पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहेंगे और शनिवार एवं रविवार को बन्द रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक मास में अतिरिक्त शनिवारों को अवकाश होने के कारण कार्यालय समय में हुई कमी को पूरा कने के लिये सभी कार्यालयों का कार्य समय पूर्वान्ह 9:30 बजे से अपरान्ह 6:00 बजे तक रहेगा। अपरान्ह 1:00 बजे से 1:30 बजे तक मध्यान्ह भोज का समय निर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी कार्यालयों का समय एवं मध्यान्ह भोज का समय निर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी कार्यालयों का समय एवं मध्यान्ह भोज समय के निर्धारण विषयक पूर्व निर्गत समस्त आदेश इस सीमा तक अवक्रमित/संशोधित समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह योजना लागू किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2004 की शासन की अवकाश विषयक विज्ञप्ति सं0- 1329/तीन-2003-39(2)-2003 दिनांक 17 नवम्बर 2003 के पृष्ठ-3 में इंगित कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत घोषित अवकाश विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू नहीं होंगे, अपितु उक्त अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया मानते हुये, उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रूप में नियमानुसार उपभोग किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आडर्स (1981 संस्करण) के पैरा-247 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा घोषित किये जाने वाले अवकाश सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू नहीं होंगे। अवकाश विषयक पूर्वोल्लिखित विज्ञप्ति दिनांक 17 नवम्बर, 2003 में निहित आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

यह आदेश 01 नवम्बर 2004 से प्रभावी होंगे। समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त कार्यालय समय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय
(वी0के0 मित्तल)
मुख्य सचिव।

संख्या : 1533(1)/तीन-2004-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव , मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
3. समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निजी सचिव।
4. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0 शासन।
7. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
10. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण), भारत सरकार नई दिल्ली।
12. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यों का विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ।
14. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
(अवधेश नारायण)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.